International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 03, March 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महिला सशक्तिकरण से संबंधित

डा. माला कुमारी, सहायक प्राध्यापक (अतिथि) ,
ए.एन. डी.महाविद्यालय शाहपुर पटोरी,समस्तीपुर(स्छडन्)

सार–
महिला सशक्तिकरण किसी भी समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दुनिया भर में, महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों, वैश्विक संगठनों और सरकारी पहलों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, इन प्रगतियों के बावजूद,महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, वेतन अंतर,सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक प्रतिबंध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुँच सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पत्र महिला सशक्तिकरण के वैश्विक परिप्रेक्ष्य की खोज करता है, विभिन्न देशों के सफल केस स्टडीज पर प्रकाश डालता है और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का विश्लेषण करता है। यह लगातार उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं की भी जाँच करता है जो सच्ची लैंगिक समानता में बाधा डालती हैं। यह अध्ययन इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सहयोगी प्रयासों, नीति सुधारों और सामाजिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देता है। वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण हासिल करना न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि सतत् विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक है।

उद्देश्य–
1. विभिन्न समाजों में महिला सशक्तिकरण की वैश्विक अवधारणा और अर्थ को समझना।
2. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों का विश्लेषण करना।
3. विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना।
4. महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा और अर्थव्यवस्था की भूमिका का अध्ययन करना।
5. महिला सशक्तिकरण में भारत के प्रयासों, योजनाओं और सफलता की कहानियों का मूल्यांकन करना।

विभिन्न समाजों में महिला सशक्तिकरण को वैश्विक अवधारणा और अर्थ को समझना–

'महिला सशक्तिकरण' का अर्थ है– 'महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं जैसे– शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, स्वास्थ्य और समाज में समान रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता, शक्ति और अवसर प्रदान करना'। यह महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाने और संसाधनों और अवसरों तक उनकी समान पहुँच सुनिश्चित करने के बारे में है। सशक्त महिलाएँ अपने परिवार, समुदाय और पूरे राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकती हैं।

विश्व स्तर पर, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों के आधार पर भिन्न होती है। विकसित या पश्चिमी देशों में, महिला सशक्तिकरण को अक्सर वित्तीय स्वतंत्रता, कॉर्पोरेट और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्यस्थल में समान अधिकारों से जोड़ा जाता है। कई विकसित देशों में महिलाओं ने सीईओ, राजनीतिक नेता और वैज्ञानिक के रूप में शीर्ष पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हालाँकि, इन समाजों में भी वेतन अंतर और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

कई एशियाई और अफ्रीकी देशों सहित विकासशील देशों में, महिला सशक्तिकरण का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और हिंसा और भेदभाव से सुरक्षा जैसे बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने पर अधिक है। इन क्षेत्रों में, महिलाओं को अक्सर सांस्कृतिक बाधाओं और सामाजिक मानदंडों का सामना करना पड़ता है जो सार्वजनिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग और शैक्षिक अवसरों की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भारत में, महिला सशक्तिकरण का विचार इतिहास और परंपरा में गहराई से निहित है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले और एनी बेसेंट जैसी ऐतिहासिक हस्तियों ने महिलाओं के अधिकारों और नेतृत्व के मार्ग को प्रेरित करने और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका योगदान भारतीय महिलाओं की ताकत,

साहस और क्षमताओं को उजागर करता है। आज, भारत में महिला सशक्तिकरण का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और राजनीतिक भागीदारी तक समान पहुँच मिले। भारतीय संविधान विभिन्न मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है। हालाँकि, संवैधानिक अधिकारों और सरकारी पहलों के बावजूद, दहेज प्रथा, कम उम्र में शादी, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियाँ व्यापक रूप से फैली हुई हैं, खासकर ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना सिर्फ नीतियों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना भी है। सच्चा सशक्तिकरण तब हासिल होगा जब हर महिला को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने और देश की प्रगति में योगदान देने के अवसर मिलेंगे।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रम और पहल–

महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक प्राथमिकता बन गई है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की दिशा में काम करने की पहल है। इनमें से, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों और सम्मेलनों के माध्यम से एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक यह है कि 1979 में अपनाई गई महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन। अक्सर महिलाओं के लिए अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में संदर्भित किया जाता है, सीईडीएडवल्यु ने राष्ट्रों से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने और शिक्षा, रोजगार, राजनीति और स्वास्थ्य में उनकी समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है, विशेष रूप से संपन्न लक्ष्य, सन् 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए। यह लक्ष्य लिंग–आधारित हिंसा को समाप्त करने, बाल विवाह और महिला जननांग उत्परिवर्तन जैसी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने और नेतृत्व, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देता है। ये वैश्विक पहल यह मानती है कि महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक सामाजिक या नैतिक मुद्दा है, बल्कि सतत् विकास, आर्थिक विकास और गरीबी में कमी को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ, भारत ने महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रगतिशील योजनाओं और नीतियों का शुभारंभ किया है। सबसे उल्लेखनीय में से एक है बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (बेटी को सेव, बेटी को शिक्षित करें) योजना, जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने, जागरूकता बढ़ाने और बालिका के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित करने पर काम करती है। महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयुवाई), जो नीचे–मरीज–लाइन वाले घरों से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। यह योजना न केवल पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों पर निर्भरता को कम करके महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि फायरवुड को इकट्ठा करने पर खर्च किए गए समय और प्रयास को बचत करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और समान वातावरण बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह आर्थिक विकास, सुरक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा और सामाजिक समावेश में महिलाओं की भागीदारी पर केंद्रित है। इस नीति का उद्देश्य लिंग न्याय प्राप्त करने और राष्ट्र–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है।

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ और बाधाएँ –

हाल के दशकों में की गई प्रगति के बावजूद, दुनिया भर की महिलाएँ कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और बाधाओं का सामना करती रहती हैं जो समाज में उनके सशक्तिकरण और समान भागीदारी में बाधा डालती हैं। संस्कृति, परंपराओं, आर्थिक स्थितियों और सामाजिक संरचनाओं में अंतर के कारण ये चुनौतियाँ क्षेत्रों में भिन्न होती हैं। हालांकि, सामान्य मुद्दे जैसे कि गहरी जड़ें पितृसत्तात्मक मानसिकता, लिंग–आधारित हिंसा, असमान वेतन, शिक्षा तक सीमित पहुँच, और खराब राजनीतिक प्रतिनिधित्व सार्वभौमिक बाधाएँ हैं जो महिलाएँ विकसित और विकासशील दोनों देशों में सामना करती हैं। पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे महिला जननांग उत्परिवर्तन (एफजीएम), बाल विवाह और सम्मान हत्याएँ महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। इन हानिकारक प्रथाओं के परिणामस्वरूप अक्सर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात होता है, जो महिलाओं को गरीबी और निर्भरता के चक्र में फंसे रहते हैं। प्रजनन, स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन सेवाओं की कमी, और कम साक्षरता के स्तर में सीमित पहुँच इन क्षेत्रों में महिलाओं के हाशिए पर योगदान

करने में योगदान करती है। भारत के संदर्भ में, हालांकि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई सामाजिक बुराइयों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, समाज में प्लेग करना जारी है। दहेज से संबंधित मौतें, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिला फेटिकाइड और लिंग–आधारित भेदभाव महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) अक्सर बलात्कार, तस्करी, एसिड हमले और घरेलू दुर्व्यवहार सहित महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की एक उच्च संख्या की रिपोर्ट करता है। लिंग, वेतन, अंतराल और सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी ग्रामीण और शहरी दोनों सेटिंग्स में महिलाओं की असमान स्थिति को दर्शाते हैं। एक महिला की भूमिका के बारे में पारंपरिक मान्यताएँ मुख्य रूप से एक गृहिणी या देखभाल करने वाले के रूप में महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं और शिक्षा या रोजगार तक पहुँच को सीमित करती हैं। ये सामाजिक मानदंड महिलाओं को निर्भरता की बाधाओं को तोड़ने से रोकते हैं और देश की प्रगति में उनके योगदान को प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि नीतियाँ और कानूनी सुरक्षा आवश्यक हैं, महिलाओं के सच्चे सशक्तीकरण को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि सामाजिक मानसिकता में कोई मौलिक परिवर्तन न हो। इन बाधाओं को तोड़ने और एक ऐसे समाज को बनाने के लिए निरंतर जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है जहाँ महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान माना जाता है।

महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा और अर्थव्यवस्था की भूमिका–

शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण के दो सबसे शक्तिशाली स्तंभ हैं। जब महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, तो वे अपने जीवन, परिवारों और करियर के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, आत्मविश्वास और कौशल प्राप्त करते हैं। शिक्षित महिलाओं को घर और समाज में निर्णय लेने में भाग लेने, स्वस्थ और बेहतर शिक्षित परिवारों को बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने की अधिक संभावना है। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि उच्च महिला साक्षरता दर वाले देश तेजी से विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल परिणामों और गरीबी के स्तर को कम करने का अनुभव करते हैं। गरीबी, शुरुआती शादी या सामाजिक दबावों के कारण लड़कियाँ अक्सर स्कूल से बाहर निकल जाती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शिक्षित महिला को न केवल खुद के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सशक्त बनाया गया है। भारतीय संदर्भ में, शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक गेम–चेंजर रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, सर्व शिक्षा अभियान और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने स्कूलों में बालिका नामांकन में काफी वृद्धि की है। ये पहल सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ने में मदद कर रही हैं जो लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने से प्रतिबंधित करती हैं। शिक्षित महिलाएँ अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राजनीति, खेल और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है और लिंग बाधाओं को तोड़ती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता उनके वित्त और निर्णयों पर नियंत्रण देकर महिलाओं के सशक्तीकरण को और मजबूत करती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं को घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करने की संभावना कम होती है और भेदभाव को चुनौती देने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित करती हैं। भारत में, स्व–सहायता समूहों (एचजी) ने ग्रामीण महिलाओं को पैसे बचाने, छोटे व्यवसायों को शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन एसएचजी के माध्यम से, महिलाएँ हस्तशिल्प, डेयरी फार्मिंग, टेलरिंग, और छोटे पैमाने पर उद्योगों जैसी गतिविधियों में संलग्न होती हैं, जो अपने परिवार की आय और सामाजिक स्थिति में सुधार करती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) जैसी सरकारी योजनाएँ महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करती हैं, जो छोटे व्यवसायों को शुरू करने या विस्तारित करती हैं। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम विभिन्न ट्रेडों और डिजिटल कौशल में महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें रोजगार या उद्यमिता के लिए तैयार करते हैं। इंडिया ने किरण मजूमदार शॉ (बायोकॉन) और इंद्र नूयोई (पेप्सिको के पूर्व सीईओ) जैसे महिला नेताओं और उद्यमियों के प्रेरणादायक उदाहरणों को भी देखा है, जिन्होंने न केवल काँच की छत को तोड़ दिया है, बल्कि देशों के लिए प्रेरित किया है।

महिला सशक्तिकरण में भारत के प्रयास, योजनाए और सफलता की कहानियाँ –

भारत ने विभिन्न संवैधानिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुधारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की देश की दृष्टि इसके संविधान में परिलक्षित होती है, जो महिलाओं सहित सभी नागरिकों के लिए भेदभाव से समानता, गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देती है। इन वर्षों में, इन अधिकारों को कई कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कानूनी निर्णयों का समर्थन किया गया है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं

को उत्थान करना है। भारत में सबसे प्रभावशाली पहल में से एक पंचायती राज संस्थानों (स्थानीय शासन निकायों) में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है। इस कदम ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने और स्थानीय शासन में सीधे भाग लेने का अवसर दिया है। सरपंच और पंचायत सदस्यों के रूप में चुनी गई महिलाएँ अब सक्रिय रूप से विकास परियोजनाओं में शामिल हैं, स्थानीय मुद्दों को संबोधित करती हैं, और अपने गाँवों का नेतृत्व करती हैं। इस आरक्षण नीति ने न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि की है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से उन्हें नेतृत्व की भूमिकाएँ देकर भी सशक्त बनाया है जो कभी पुरुषों के लिए आरक्षित थे। सरकार की योजनाएँ महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमशीलता को और बढ़ावा देती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाने वाली उच्च ई–हाट पहल, महिला उद्यमियों, स्व–सहायता समूहों ै(भ्ळे), और गैर सरकारी संगठनों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाकर, यह योजना महिलाओं को पारंपरिक बाजार की बाधाओं को दूर करने में मदद करती है और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। एक महत्वपूर्ण योजना, पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनीमिया और कुपोषण को कम करना है, जिससे महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। अच्छा स्वास्थ्य सशक्तिकरण के लिए मौलिक है, क्योंकि यह महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इंडिया ने कई लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी देखा है जो महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता में प्रगति को दर्शाते हैं। ट्रिपल तलाक (मुस्लिम समुदायों में तत्काल तलाक) का अपराधीकरण मुस्लिम महिलाओं को मनमाने ढंग से तलाक से बचाने और न्याय और गरिमा के उनके अधिकार सुनिश्चित करने में एक ऐतिहासिक कदम था। इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति देने के लिए सदियों–पुराने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी और धार्मिक प्रथाओं में लैंगिक समानता के सिद्धांत को मजबूत किया। इन नीतिगत प्रयासों और कानूनी सुधारों ने बदलाव के लिए एक आधार बनाया है। फिर भी, महिला सशक्तिकरण की सबसे शक्तिशाली कहानियाँ प्रेरणादायक भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों से आती हैं, जिन्होंने बाधाओं को तोड़ दिया है और वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर सशक्त भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व किया है। पहली भारतीय जन्मी महिला अंतरिक्ष यात्री, कल्पना चावला साहस और वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक है। मैरी कोम (मुक्केबाजी), साइना नेहवाल (बैडमिंटन), और पीवी सिंधु (बैडमिंटन) जैसे स्पोर्ट्स आइकन ने न केवल अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, बल्कि भारत में लाखों युवा लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी बन जाते हैं, उन्हें सामाजिक सीमाओं से परे सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत ने विभिन्न संवैधानिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुधारों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की देश की दृष्टि इसके संविधान में परिलक्षित होती है, जो महिलाओं सहित सभी नागरिकों के लिए भेदभाव से समानता, गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देती है। इन वर्षों में, इन अधिकारों को कई कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कानूनी निर्णयों का समर्थन दिया गया है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का उत्थान करना है। भारत में सबसे प्रभावशाली पहल में से एक पंचायती राज संस्थानों (स्थानीय शासन निकायों) में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है। इस कदम ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने और स्थानीय शासन में सीधे भाग लेने का अवसर दिया है। सरपंच और पंचायत सदस्यों के रूप में चुनी गई महिलाएँ अब सक्रिय रूप से विकास परियोजनाओं में शामिल हैं, स्थानीय मुद्दों को संबोधित करती हैं, और अपने गाँवों का नेतृत्व करती हैं। इस आरक्षण नीति ने न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि की है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से उन्हें नेतृत्व की भूमिकाएं देकर भी सशक्त बनाया है जो कभी पुरुषों के लिए आरक्षित थे।

सरकार की योजनाएँ महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमशीलता को और बढ़ावा देती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाने वाली उच्च ई–हाट पहल, महिला उद्यमियों, स्व–सहायता समूहों (एचजी), और गैर सरकारी संगठनों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाकर, यह योजना महिलाओं को पारंपरिक बाजार की बाधाओं को दूर करने में मदद करती है और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। एक महत्वपूर्ण योजना, पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं।

कार्यक्रम का उद्देश्य एनीमिया और कुपोषण को कम करना है, जिससे महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। अच्छा स्वास्थ्य सशक्तिकरण के लिए मौलिक है, क्योंकि यह महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इंडिया ने कई लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी देखा है जो महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता में प्रगति को दर्शाते हैं। ट्रिपल तलाक (मुस्लिम समुदायों में तत्काल तलाक) का अपराधीकरण मुस्लिम महिलाओं को मनमाने ढंग से तलाक से बचाने और न्याय और गरिमा के उनके अधिकार सुनिश्चित करने में एक ऐतिहासिक कदम था। इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति देने के लिए सदियों–पुराने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी और धार्मिक प्रथाओं में लैंगिक समानता के सिद्धांत को मजबूत किया। इन नीतिगत प्रयासों और कानूनी सुधारों ने बदलाव के लिए एक आधार बनाया है। फिर भी, महिला सशक्तिकरण की सबसे शक्तिशाली कहानियाँ प्रेरणादायक भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों से आती हैं, जिन्होंने बाधाओं को तोड़ दिया है और वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर सशक्त भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व किया है। पहली भारतीय जन्मी महिला अंतरिक्ष यात्री, कल्पना चावला साहस और वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक है। मैरी कोम (मुक्केबाजी), साइना नेहवाल (बैडमिंटन), और पीवी सिंधु (बैडमिंटन) जैसे स्पोर्ट्स आइकन ने न केवल अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, बल्कि भारत में लाखों युवा लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी बन जाते हैं, उन्हें सामाजिक सीमाओं से परे सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं।
इन प्रसिद्ध आंकड़ों के साथ–साथ, ग्रामीण भारत से अनगिनत महिला नायक नेतृत्व और उद्यमिता के माध्यम से अपने समुदायों को बदल रहे हैं। ग्रामीण महिलाएँ अब व्यवसाय चला रही हैं, अग्रणी पंचायतें और सामाजिक परिवर्तन चला रही हैं। उदाहरण के लिए, डेयरी सहकारी समितियों, हस्तशिल्प उद्योगों और माइक्रो–एंटरप्राइज में शामिल महिलाएँ अपने परिवारों का समर्थन कर रही हैं और अपने समुदायों की आर्थिक स्थितियों में सुधार कर रही हैं। देश भर में स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के उदय ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है, जिससे उन्हें दमनकारी मानदंडों को चुनौती देने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का विश्वास मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) जैसी वित्तीय पहल महिला उद्यमियों को संपार्श्विक–मुक्त ऋण प्रदान करती है, उन्हें अपने छोटे व्यवसायों को शुरू करने या विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह वित्तीय सहायता महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करती है, जो निर्भरता और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इन उल्लेखनीय उपलब्धियों और पहलों के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच अंतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों और कानूनी सुरक्षा तक पहुँच के मामले में अभी भी महत्वपूर्ण है। जबकि शहरी महिलाओं के पास सशक्तिकरण के लिए संसाधनों और प्लेटफॉर्मों तक बेहतर पहुँच है, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाएँ पारंपरिक मानदंडों, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों की सीमित पहुँच जैसी बाधाओं का सामना करती रहती हैं। सच्चे सशक्तिकरण के लिए, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी संरक्षण हर लड़की और महिला, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर सामूहिक रूप से पहुँचें। जागरूकता कार्यक्रम, मौजूदा योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन, और इस अंतर को पाटने के लिए लगातार नीति सुधार आवश्यक हैं। सशक्तिकरण कुछ शहरी सफलता की कहानियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जमीनी स्तर पर आंदोलन बनना चाहिए, जहाँ हर महिला, अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सम्मानित, संरक्षित और अपने भविष्य को आकार देने में सक्षम महसूस करती है।

निष्कर्ष–

एक समान, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। यह केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। भारत में दुनिया भर में, विभिन्न नीतियों, कानूनों और पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बढ़ती पहुँच से लेकर नेतृत्व की भूमिकाओं और उद्यमिता में महिलाओं को बढ़ावा देने तक, लिंग अंतर को पाटने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रगति के बावजूद, कई चुनौतियाँ और बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं। गहरी जड़ें सामाजिक मानदंड, लिंग रूढ़िवादिता, भेदभाव और हिंसा महिलाओं के विकास में बाधा डालती हैं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोकती हैं, सशक्तिकरण इसलिए, अकेले सरकारी योजनाओं या कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं हो सकता है। इसमें मानसिकता का एक परिवर्तन शामिल होना चाहिए, जहाँ समाज महिलाओं को हर क्षेत्र में समान योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता देता है – यह घर पर, कार्यस्थल में, या शासन में हो। इसमें गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा,

सुरक्षा और आर्थिक अवसरों के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है। वित्तीय स्वतंत्रता और कौशल विकास भी महिलाओं को निर्भरता और हाशिए के चक्र से मुक्त करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। अलग–अलग, महिलाओं को सशक्त बनाने से महिलाओं को मजबूत परिवार, स्वस्थ समुदाय और अधिक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। यह सतत् विकास और सामाजिक प्रगति की कुंजी है। एक समाज जो अपनी महिलाओं का सम्मान और उत्थान करता है, एक उज्ज्वल, अधिक समावेशी भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए, दुनिया और भारत को शेष बाधाओं को दूर करने और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम करना जारी रखना चाहिए जहाँ महिलाएँ जीवन के हर पहलू में अपने सही स्थान का दावा कर सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. मिश्रा, आर. (2018), भारत में महिला सशक्तिकरणः एक अध्ययन, दिल्लीः ज्ञान गंगा प्रकाशन।
2. शर्मा, पी. (2020), महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का परस्पर संबंध, शोध विमर्श, 6(2), 45–52।
3. वर्मा, एस. (2017), भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और सशक्तिकरण, लखनऊः नवीन प्रकाशन।
4. चतुर्वेदी, ए. (2019), महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका, भारतीय समाजशास्त्र जर्नल, 9(1), 88–94।
5. त्रिपाठी, एम. (2021), महिला सुरक्षा और सशक्तिकरणः एक समीक्षा, राष्ट्रीय शोध पत्रिका, 12(3), 60–67।
6. यादव, के. (2018), महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण, वाराणसीः भारतीय विद्या संस्थान।
7. गुप्ता, र. (2022), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, समाज और विकास, 15(4), 110–116।
8. सिंह, बी. (2020), ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ, ग्रामीण विकास पत्रिका, 7(2), 34–40।
9. जोशी, एन. (2019), नारी शक्ति और आधुनिक भारत, जयपुरः राजस्थान पब्लिशिंग हाउस।
10. पांडेय, एल. (2021), महिला सशक्तिकरणः कानूनी और सामाजिक पहलू, भारतीय विधि समीक्षा, 11(1), 72–80।